



झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांक : 9/RCH - 01/2004(EB)-16 (MD)

दिनांक : 16/11/14.

प्रेषक,

अभियान निदेशक  
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सिविल सर्जन,  
चतरा/पलामू/गोड्डा/जामताड़ा/लोहरदगा/ गुमला  
झारखण्ड।

**विषय:-** Jharkhand Rural Health Mission Society अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कर्मियों के मानदेय वृद्धि के संबंध में।

महाशय,

Jharkhand Rural Health Mission Society के अंतर्गत जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का मासिक अनुबंध राशि भारत सरकार के पत्रांक No. 10(16)/2013-NRHM-I dated 23th September 2013 के द्वारा Supplementary RoP 2013-14 में स्वीकृति दी गयी है।

1. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त Conditionality पत्रांक DO No. 10(16) 2013-NRHM-I (II) dated 7<sup>th</sup> January 2014 को पूरा करने हेतु सभी सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधन को निर्देश दिया गया है—
  - a. *Rational and equitable development of HR with the highest priority accorded to high priority districts and delivery points.*
  - b. *Facility wise performance audit and corrective action based thereon.*
  - c. *Performance Measurement System Set up and implemented to monitor performance of regular and Contractual Staff.*
  - d. *Baseline assessment of competencies of all SNs, ANMs, Lab Technicians to be done and corrective action taken thereon.*
2. एन0आर0एच0एम0 अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिये उनके द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन विहित प्रपत्र में प्रथम पर्यवेक्षक (सिविल सर्जन) एवं द्वितीय पर्यवेक्षक (राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई) द्वारा किया गया है।
3. Minimum Performance Appraisal प्रपत्र पर प्रथम एवं द्वितीय पर्यवेक्षक द्वारा अंकित मूल्यांकन के आधार पर Supplementary RoP 2013-14 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राशि के अनुरूप मानदेय भुगतान की अनुशंसा की गई है।
4. दिनांक 13.08.2013 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में मुख्य सचिव कार्यालय सभागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा में हुई Jharkhand Rural Health Mission Society के शासी निकाय (Governing Body) की बैठक में Minimum Performance Appraisal उपरांत RoP आधारित मानदेय भुगतान की स्वीकृति दी गई है।
5. दिनांक 21.09.2013 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में हुई Jharkhand Rural Health Mission Society कार्यकारिणी समिति (Executive Body) की बैठक में Supplementary RoP 2013-14 में स्वीकृत मानदेय राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई है।



उपरोक्त के आलोक में जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई कर्मियों का भारत सरकार के पत्रांक No. 10(16)/2013-NRHM-I dated 23th September 2013 के द्वारा Supplementary RoP 2013-14 में मानदेय का विवरण निम्नांकित है:-

S.N.	Designation	Approved amount/month in Rs. as per Supplementary ROP FY 2013-14
1.	District Programme Manager	39930/-
2.	District Account Manager	32670/-
3.	District Data Manager	30250/-
4.	District Programme Coordinator	30250/-
5.	Hospital Manager	30250/-

अतः निदेशित किया जाता है कि एन0आर0एच0एम0 अंतर्गत कार्यरत उक्त कर्मियों का अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक के मासिक अनुबंध राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा प्रदत्त Conditionality को पूरा करते हुये उपरोक्त स्वीकृति के अनुरूप भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

*Chaital Raja*  
(अभियान निदेशक)

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति

ज्ञापक : 9/RCH-01/2004(EB) 16 (ND)  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 16-1-14.

- मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार सह अध्यक्ष-शासी निकाय, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड -सह-अध्यक्ष-कार्यकारिणी समिति झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
- निदेशक वित्त, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति को सूचनार्थ।
- संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ।
- प्रशासी पदाधिकारी, राज्य आर0एस0सी0एच0 कार्यालय, नामकुम, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
- उपरोक्त जिलो को छोड़कर अन्य जिले के सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है, राज्य द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित Appraisal प्रपत्र में Appraisal करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित करेंगे ताकि उनके जिले के जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई कर्मियों के वेतनवृद्धि की कार्रवाई पूरी की जा सके।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई/प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Chaital Raja*  
(अभियान निदेशक)